राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 327 सन 2015

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र मधाराम जाति भाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनडी के हाल खसरा न0 245 की 23.00 बीधा भूमि सम्वत 2002 से पूर्व से लगभग 50 सालों से वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के दस सालों से अधिक समय से कब्जा काश्त में होने के कारण वादी खातेदार काश्तकार हो गया है।

रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 242मीन व 245 मीन भूमि पूर्व में अराजीराज थी तथा ठाकुर विरन्द्रसिह जो ठिकाना जसाना जागीरदार थे तब से वादी के पिता ने सम्वत 2002 से पूर्व जब उक्त भूमि किस्म आराजीराज मकबुजा थी तब बजड से नोतोड की थी तब से पूर्व में वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा न0 245 की 23.00 बीधा भूमि को वन विभाग के नाम से दर्ज की गई जो कतई विधिविरूद्व है उन्हे कानुनी हक अधिकार नही था की वादी के कब्जा काश्त के कारण वादी उक्त भूमि पर आवंटन अथवा नियमन करवा पाने का पात्र था भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा किया गया इन्द्राज गैरकानुनी है जिसे दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 245 की 23.00 बीधा भूमि को दिनांक 21.10.1981 को वादी के पक्ष में आवंटन भी किया गया था एवं अमल दरामद करने के आदेश भी दिये गये थे परन्तु उक्त आदेश की क्रियान्वती नही हुई दिनांक 01.06.1987 को तहसील के आदेश से वन विभाग के नाम से दर्ज कर दी गई जो विधिविरूद्व है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव वादी ने वाद भूमि का काफी उपजाउ बना रखा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वन विभाग प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रहने से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी का वाद भूमि से बेदखल करने पर आमाद है जिससे वादी के हकों का हनन होता है इसलिये वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 245/1 की 162.2530हैक भूमि में से 23.00 बीधा यानी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 ,2 को पाबन्द किया जावे की वह वादी के कब्जा काश्त में दखल नही करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की प्रश्नगत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वनविभाग के नाम से दर्ज है वाद भूमि वादी को कभी आवंटन नही की गई ना ही वादी का वाद भूमि में किसी प्रकार का अधिकार है वादी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी था जिसे समय समय पर बेदखल किया जाता रहा है प्रश्नगत भूमि प्रबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी पाने का अधिकारी नही है ना ही वादी को आवंटित की जा सकती है वाद वादी खारिज किया जावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर उभयपक्षों को सुना गया वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की है जिस पर वादी का कोई अधिकार नही है ना ही वादी को आवंटन की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि वाद भूमि नोतोड करदा है जो सम्वत 2002 से कब्जा काश्त में चली आ रही जिसका वह खातेदार हो चुका है वादी ने अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि वादी या उसके पूर्वजों के द्वारा नोतोड करना साबित होता हो ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके की भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया हो मात्र वादी का कथन मात्र है कथनों के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड अराजीराज थी जिस पर वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा अतिक्रमी की हैसीयत से काश्त की गई हो सकती है जिसे तहसीलदार नोहर के द्वारा बेदखल किया जाकर राजकीय भूमि का कब्जा लिया गया है अतिक्रमी की हैसियत से काश्त करने पर गिरदावरीयों में काश्त दर्ज हो सकती है जिससे वाद भूमि पर वादी का कोई अधिकार साबित नही होता है प्रश्नगत भूमि का पानी समीपस्त जोहड में जाना प्रतित होता है जिसके कारण भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गौचर/जोहड पायतन दर्ज किया गया है जिसे श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.1979 के द्वारा वन विभाग को आवंटन करने पर प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज हुई है अर्थात भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सहवन से वनविभाग के नाम दर्ज नही की जाकर जिलाधीश श्रींगंगानगर के आदेश से दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वनविभाग के नाम से दर्ज है जिसके कारण प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिसके सम्बध में वादी किसी प्रकार की धोषणा/अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दोलत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र मधाराम जाति भाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 327 सन 2015 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी